

फिन-ए-सी(6)-2/2022
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-171002,

01 अप्रैल, 2023

विषय:-

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 4)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 4) में प्रावधित की गई राशि जो कि बजट अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 से सम्बंधित है, को विधान सभा द्वारा बिना किसी परिवर्तन के दिनांक 29 मार्च, 2023 को पारित कर दिया गया है। राज्यपाल महोदय ने भी उपरोक्त विधेयक को अपनी स्वीकृति (assent) दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रदान कर दी है तथा यह विधेयक वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल ई-राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,



(प्रदीप कुमार)

उप सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी (6)-2/2022

दिनांक 01 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि वरिष्ठ उप-महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003 को

सूचनार्थ प्रेषित है।



(प्रदीप कुमार)

उप सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार